न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/टी.ए./4317/2012/बारां

श्री रामदयाल पुत्र श्री माधोलाल दत्तक कुत्र श्री नेनगा जाति माली निवासी बड़वा तहसील अन्ता जिला बारां।

....प्रार्थी

बनाम

1. श्री जयसिंह पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत निवासी नागदा तहसील अन्ता जिला बारां।
2. श्री नैनगा आत्मज श्री नाथूलाल जाति माली निवासी बड़वा तहसील अन्ता जिला बारां।– फौत
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां।

.... अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री बजरंग लाल शर्मा, सदस्य

उपस्थितः

श्री मुकेश जैन : अधिवक्ता प्रार्थी
श्री ओ.पी.भट्ट : अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1

––

निर्णय

दिनांकः 5/7/2012

प्रार्थी द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अंतर्गत उप खण्ड अधिकारी, अन्ता के आदेश दिनांक 28/7/2011 (प्रकरण संख्या 362/2010) से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है।

2. हस्तगत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री नेनगा द्वारा अधिनियम की धारा 183 के अंतर्गत एक नियमित वाद श्री रामदयाल के विरूद्ध उप खण्ड अधिकारी, अन्ता जिला बारां के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस वाद के विचारण के दौरान परीक्षण न्यायालय में श्री जयसिंह द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 22 नियम 23 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता तथा प्रतिवादी श्री रामदयाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें श्री जयसिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं लेने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28/7/2011 से श्री जय सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद में संशोधन की स्वीकृति प्रदान कर दी एवं श्री रामदयाल की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र जिसमें श्री जय सिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं लेने का निवेदन किया गया था उसे खारिज करते हुए वांछित दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने क अनुमति प्रदान कर दी। परीक्षण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस इस पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि दोनों ही आवेदन पत्रों पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं मनमाना है क्योंकि वसीयत के आधार पर श्री जय सिंह को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जावे क्योंकि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उनका यह भी कथन है कि मूलतः श्री नेनगा द्वारा प्रस्तुत वाद अधिनियम की धारा 183 से संबंधित था अतः इस दावे के वादपत्र में संशोधन से दावे की मूल प्रकृति ही बदल जायेगी। उनका यह भी कथन है कि श्री जय सिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने के लिये आदेश 41 नियम 27 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं हुआ अतः इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने सारांशतः विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल जाकर यह आदेश पारित किया है अतः इस आदेश को अपास्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। उन्होंने कथन किया कि श्री रामदयाल अनावश्यक रूप से इस

प्रकरण में देरी करने के उद्धेश्य ये यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है अतः यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र खारिज किया जावे।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. इस प्रकरण में यह एक निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति है कि परीक्षण न्यायालय में श्री नेनगा द्वारा अधिनियम की धारा 183 के अंतर्गत श्री रामदयाल क विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। इस नियमित वाद में श्री जय सिंह द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 सपठित आदेश 1 नियम 10 व आदेश 22 नियम 23 सपठित धारा 151 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। परीक्षण न्यायालय ने श्री जय सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को गुणावगुण पर स्वीकार किया है। इस प्रकरण में यह तथ्य सामने आया है कि नेनगा द्वारा श्री जय सिंह के पक्ष में एक वसीयत निस्पादित की गई थी तथा इस वसीयत के आधार पर श्री जय सिंह अपने आपको श्री नेनगा का विधिक वारिस बतलाते हुए इस प्रकरण में पक्षकार बनना चाहता है एवं श्री नेनगा द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में संशोधन भी करवाना चाहता है।

8. यह एक निर्विवाद स्थिति है कि श्री नेनगा द्वारा प्रस्तुत वाद अधिनियम की धारा 183 के अंतर्गत बेदखली से संबंधित था तथा दीवानी प्रक्रिया संहिता के ओदश 6 नियम 17 के अंतर्गत श्री जय सिंह इस प्रकरण में विवादित भूमि का खातेदार बनना चाहता है। इस प्रकार यदि श्री जय सिंह द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में संशोधन का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो इस वादपत्र की मूल प्रकृति पूर्णरूप से बदल जायेगी। यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत करसोन दास ठक्कर बनाम किरण कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी एवं अन्य (ए.आई.आर. 2008 सर्वोच्च न्यायालय 2134) के निर्णय के प्रकाश में यही अभिमत प्रकट करना उचित समझता है कि किसी वादपत्र में इस आशय के संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे कि मूलवाद की प्रकृति ही बदल जावे। इस प्रकरण विशेष में बेदखली के वाद को अधिकारों के घोषणा के वाद में परिवर्तित किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त अभिमत के प्रतिकूल है। अतः इस न्यायालय के सुविचारित मतानुसार इस प्रकार के संशोधन की ईजाजत नहीं दी जा सकती। प्रार्थी श्री जय सिंह को वसीयत के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा का वाद नये सिरे से लाना चाहिये। श्री नेनगा द्वारा प्रस्तुत वाद में श्री जय सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधन अनुमत किया जाना विधिक रूप से उचित नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने हनुवन्त सिंह रावत बनाम राजपुताना ओटोमोबाइल्स, अजमेर (1993 डब्ल्यू.एल. सी.625) के प्रकरण में दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के विधिक प्रावधानों के संबंध में निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं :–

(i) That the amendment of pleadings should ordinarily be allowed by the Court, once it is satisfied that the amendment is necessary for the just and proper decision of the controversy between the parties;

(ii) The amendment of the pleadings should not ordinarily be declined only on the ground of delay on the part of the appellant in seeking leave of the Court to amend the pleadings, if the opposite party can suitably be compensated by means of costs etc. Even inconsistent pleas can be allowed to be raised by amendment in the pleadings;

(iii) However, amendment of pleadings cannot be allowed so as to completely alter the nature of the suit;

(iv) Amendment of the pleadings must not be allowed when amendment is not necessary for the purpose of determining the real questions in the controversy between the parties;

(v) The amendment should be refused where the plaintiff's suit would be wholly displaced by the proposed amendment;

(vi) Where the effect of the amendment would be to take away from the defendant a legal right which has accrued to him by lapse of time or by operation of some law;

(vii) The amendment in the pleadings should not be allowed where the Court finds that amendment sought for has not been made in good faith or suffers from lack of bona fides; and

(viii) Ordinarily, the amendment must not be allowed where a party wants to withdraw from the admission made by it in the original pleadings.

9. उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में यह न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस पुनरीक्षण आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि वे श्री नेनगा के विधिक वारिस के रूप में श्री जय सिंह को पक्षकार बनायें एवं श्री जय सिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को भी व्यापक न्यायहित में

अभिलेख पर लें लेकिन वादपत्र में श्री जय सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को अनुमत नहीं किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बजरंग लाल शर्मा)
सदस्य